141

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल बोर्ड ग्वालियर कैंप उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रं. /2016 निगरानी R 302-PBR/17

जयनारायण पिता गोरेलाल, जाति-परमार, आयु-35 वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम डोराबाद तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

.......आवेदक

प्रार्थी अभिभाषक श्री एन. डी. बैरागी
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 3-12-16
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

हरिबक्ष पिता पूनमचंद्र, जाति-निवासी-ग्राम डोराबाद तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. ......अनावेदक

93
30/12/16

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता

अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रं. 33/द्वितीय अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 03/11/2016 से असंतुष्ट होकर अंदर समयावधि में यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

2-2-17

माननीय महोदय,

आवेदक की और से निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत है:-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

यह कि, आवेदक की ग्राम डोराबाद का निवासी होकर आवेदक द्वारा वर्ष 1999-2000 में तहसीलदार, कालापीपल वरिष्ठ अधिकारियों को अनावेदक को शासन की योजनांतर्गत दिये गये पट्टे के संबंध में शिकायत की थी कि अनावेदक के पिता को पूर्व में पट्टा दिया गया था उसके बाद भी पुन: अनावेदक को पट्टा दिया गया आवेदक के शिकायती आवेदन पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कालापीपल द्वारा राजस्व निरीक्षक अरनियाकला व पटवारी से जांच करवाये जाने के उपरांत तहसील न्यायालय को पट्टा निरस्त किये जाने के संबंध में न्यायालय के समक्ष भेजने का आदेश प्रकरण क्रं. 116/बी-121/2002-03 को किया गया था जिसकी अपील अनावेदक द्वारा न्यायालय में की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा न्यायालयीन प्रकरण

निरंतर...2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-302-पीबीआर/2017

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 02-02-2017 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	